संख्या-105 /2019/3235 /30-3-19-6बी/2018

प्रेषक,

डा० अखिलेश कुमार मिश्रा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ:दिनॉक 30 जुलाई, 2019

विषय :- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनॉक 20-03-2018 में अनुमोदित जनपद-इलाहाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर, मथुरा व मेरठ में ड्राइविंग ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (डी0टी0आई0) के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-594स०सु०/2019-78स0सु0/2019, दिनॉक 14-05-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनॉक 20-03-2018 में अनुमोदित जनपद-इलाहाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर, मथुरा व मेरठ में ड्राइविंग ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (डी0टी0आई0) के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-32/2018/911/30-3-2018-06बी/2018, दिनांक 23.03.2018, शासनादेश संख्या-33/2018/1058/30-3-2018-06बी/2018, दिनांक 23.03.2018 एवं शासनादेश संख्या-34/2018/1059/30-3-2018-06बी/2018, दिनांक 23.03.2018 द्वारा नामित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणनों के व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण करने हेतु दिनांक 20-03-2018 से गठित समिति द्वारा संस्तुत लागत के क्रम में निम्नवत तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए तथा कोष प्रबन्धन समिति द्वारा उक्त कार्यों के लिये पुनर्वैधीकरण के रूप में अनुमोदित एकमुश्त धनराशि रू0 961.10 लाख से प्रत्येक केन्द्र के लिये उक्त तालिका के स्तम्भ-5 में अंकित प्रथम किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी।

2- उक्त के पश्चात कोष प्रबंधन समिति की बैठक दिनांक 26.02.2019 में अनुमोदित निम्नवत तालिका के स्तंभ-6 में अंकित द्वितीय किश्त की धनराशि शासनादेश संख्या-16/2019/610/30-3-2019-6बी/2018 दिनांक 19-03-2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-2019 में निर्गत की गयी। उक्त धनराशि का आहरण कोषागार द्वारा नहीं हो पाने के दृष्टिगत पूर्वोक्त शासनादेश संख्या-16/2019/610/30-3-2019-6बी/2018 दिनांक 19-03-2019 को एतद्वारा निरस्त किये जाने तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निम्नवत तालिका के स्तंभ-6 में अंकित द्वितीय किश्त की धनराशि निर्गत करते हुए नीचे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	प्राप्त प्रस्ताव/कार्यदायी संस्था का नाम (रू0 लाख में)	समिति द्वारा अनुमोदित/संस्तुत लागत (रू0 लाख में)	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि (रू0 लाख में)	द्वितीय किश्त के रूप में निर्गत किये जाने हेतु अनुमादित धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	इलाहाबाद	**421.68** उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0	**416.71**	**192.22**	**200.00**
2	मुरादाबाद	**452.11** उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ	**446.35**	**192.22**	**200.00**
3	मिर्जापुर	**479.54** कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ0प्र0 जल निगम लखनऊ	**479.54**	**192.22**	**200.00**
4	मथुरा	**485.22** कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ0प्र0 जल निगम लखनऊ	**485.22**	**192.22**	**200.00**
5	मेरठ	**452.80** उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ	**446.55**	**192.22**	**200.00**
				योग -	**1000.00**

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2019 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टयॉ मानक एवं गुणवता की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी तथा यह सुनिश्चित करेगें की कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिय है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(4) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(5) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

(8) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, इसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना एवं उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि बिना मूल्यांकन समिति के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के पूंजीगत पक्ष के अन्तर्गत "लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(डा० अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

संख्या-105/2019/3235(1)/30-3-2019, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- संभागीय परिवहन अधिकारी- इलाहाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी, आगरा एवं मेरठ/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी-इलाहाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर, मथुरा एवं मेरठ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था- (1) उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, (2) उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ एवं (3) कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in